राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर।

क्रमांक : एफ 9 (4) (16) (1)/छात्र/अं.ति./सान्याअवि/2011/14–15/ 17222 जयपुर, दिनांक 20/3/15

प्रेस विज्ञप्ति

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 9 (4) (16) (1)/छात्र/अं.ति./सान्याअवि/2011/ 13–14/12287 दिनांक 3.3.2015 के द्वारा राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए **आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC- - Centrally Sponsored Scheme), घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त जाति (DNT- - Centrally Sponsored Scheme)**, **मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना (IIT, NIT, IIM** एवं इस स्तर की अन्य राष्ट्रीय स्तर की समकक्ष परीक्षा) में एवं वर्ष 2014–15 में राज्य के मान्यता प्राप्त/संबद्धता प्राप्त /राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं/पाठ्यक्रमों में राज्य एवं राज्य के बाहर प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल के लिए छात्रवृत्ति वेबपोर्टल **rajpms.nic.in** पर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र लॉक करने एवं **राज्य में अध्ययनरत विद्यार्थी के आवेदन पत्र को संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा लॉक कर संबंधित जिला कार्यालय में ऑन लाईन फारवर्ड करने एवं राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थी के गृह जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को ऑनलाईन फारवर्ड करने के लिए अंतिम तिथियां निर्धारित की गई थी।**

छात्रहित में आर्थिक पिछड़ा वर्ग, घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त जाति, मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में पेपरलेस नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए निम्नानुसार अंतिम तिथियां निर्धारित की जाती है :

क्र. सं.	विषय वस्तु	निर्धारित अंतिम तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारंभ करना।	9 मार्च, 2015
2	आवेदक द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन पत्र लॉक करने एवं पोर्टल बन्द करने की अंतिम तिथि।	30 अप्रेल, 2015
3	राज्य से बाहर स्थित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थी के गृह जिले के जिलाधिकारी, सान्याअवि को ऑनलाईन फारवर्ड करने की अंतिम तिथि	30 अप्रेल, 2015
4	राज्य में स्थित संस्थाओं के विद्यार्थियों से प्राप्त ऑन लाइन आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदन पत्र को स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को फारवर्ड करने की अंतिम तिथि।	11 मई, 2015
5	विद्यार्थी/शिक्षण संस्थाओं से ऑनलाईन प्राप्त समस्त छात्रवृति आवेदन पत्रों में आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित विद्यार्थी/शिक्षण संस्थाओं को आक्षेप पूर्ति हेतु ऑनलाईन प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) करने की अंतिम तिथि	31 मई, 2015
6	विद्यार्थियों/संस्थाओं द्वारा आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों में आक्षेप पूर्ति कर संबंधित जिलाधिकारी, सान्याअवि को ऑनलाईन फारवर्ड करने की अंतिम तिथि	19 जून, 2015

आवेदन प्रक्रिया एवं पात्रता की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइड **http://www.sje.rajasthan.gov.in** एव **rajpms.nic.in** पर उपलब्ध है।

20.3.15
(अम्बरीष कुमार)
निदेशक